of Parliament.

dolac

SPEED 12054
~~सूचना~~ का अधिकार
स्पीड पोस्ट

ISSUED
24 DEC 2013

संख्या 47-44/2013/एनडीएम-II
भारत सरकार/गृह मंत्रालय
आपदा प्रबंधन प्रभाग-I

***

'बी' विंग, तीसरी मंजिल, एनडीसीसी-II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-11 001
दिनांक : 23 दिसंबर, 2013

2 4 DEC 2013

सेवा में,

श्री प्रवीण जैन
ए-103 आदीश्वर सोसाइटी
सेक्टर 9ए, वाशी
नवी मुंबई-400 703

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलबध कराने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय के दिनांक 09.12.13 के पत्र संख्या 21.20/1/2012-हिंदी का अवलोकन करें । उक्त पत्र की प्रति इस अनुभाग को अंतरित करते हुए मद सं. 11 एवं 12 संबंधी सूचना भेजने का अनुरोध किया है । संदर्भित पत्र दिनांक 16.12.2013 को इस अनुभाग में प्राप्त हुआ है ।

2. मद सं. 11 एवं 12 से संबंधित सूचना के संबंध में यह कहना है कि संदर्भित सूचनाएं इस अनुभाग से हिंदी अनुभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को नियमित अंतराल पर भेजी जाती हैं एवं निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय द्वारा उसे समेकित एवं संकलित किया जाना अपेक्षित है तथापि इस अनुभाग द्वारा उक्त अवधि में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत कोई पत्र जारी नहीं किया गया है ।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो पत्र प्राप्त होने के तीस दिन के अंदर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत **श्री आर. के श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव एवं**

47 (

अपील अधिकारी, आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, 'बी' विंग, तीसरा तल, एनडीसीसी-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110 001 को अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

(अशोक शुक्ला)

उप सचिव एवं के.ज.सू.अ.

फोन नं. 2343 8071

प्रतिलिपि:-

1. श्री अवधेश कुमार मिश्र, निदेशक (राजभाषा) एवं के.ज.सू.अ., गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

—PB 27/2012—